बिहार शिक्षा परियोजना, गोपालगंज
शाही कॉम्पलेक्स, तृतीय तल्ला,
मिंज स्टेडियम के नजदीक
गोपालगंज–841428

Bihar Education Project,Gopalganj
Shahi Complex, 3rd Floor,
Near Minj Stadium
Gopalganj - 841428

पत्रांक – पत्रांक:– BEP/RTE/Pvt. Reg./2019-20/ 605        दिनांक 12 /0

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
NIRMALA CATHOLIC SCHOOL,
TIRBIRWA, BLOCK- GOPALGANJ

विषयः **बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की नवीनीकरण का प्रमाण-- पत्र।**

महाशय / महाशया,

आपके द्वारा संचालित विद्यालय **NIRMALA CATHOLIC SCHOOL, TIRBIRWA BLOCK- GOPALGANJ** प्रस्वीकृति सं0--06 वर्ग-- I-VIII सत्र 2013-14 से 2018-19 तक के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं उसके कम में किये गये निरीक्षण के आलोक में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, गोपालगंज द्वारा विद्यालय का नवीनीकरण तीन शैक्षणिक वर्षों **2019-20** से **2021-22** तक के अवधि तक किया जाता है।

**प्रदत्त प्रस्वीकृति / नवीनीकरण पूर्व के शर्तों के साथ--साथ निम्न संशोधित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:--**

1. विद्यालय द्वारा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के अनुपालन में शुल्क विनियमन समिति के आदेश के आलोक में विद्यालय का बेवसाइट खोलते हुए शुल्क से संबंधित जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष यू--डायस प्लस प्रपत्र के द्वारा विद्यालय से संबधित ऑकडा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. विद्यालय द्वारा सुरक्षा मानक का पालन करते हुए विद्यालय परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन
12/02/2020
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)
गोपालगंज।

12/02/2020

ps://mail.google.com/mail/u/1/#search/nirmala+catholic/FMfcgxwJXxrvJQbQRzQvMfBdSjNpNcJK?projector=1&messagePartId=0.3    1/1

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan,Yadopur Road
Gopalganj

Sr. Allein Viji
Manager
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj

बिहार शिक्षा परियोजना, गोपालगंज
शाही कॉम्पलेक्स, तृतीय तल्ला,
मिंज स्टेडियम के नजदीक
गोपालगंज–841428

**Bihar Education Project, Gopalganj**
Shahi Complex, 3rd Floor,
Near Minj Stadium
Gopalganj - 841428

पत्रांक : 15

दिनांक 28/01/2017

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

निर्मला कैथोलिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल

तिरबिरवा यादोपुर रोड, गोपालगंज

विषय:– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके विषयक अंकित करना है कि आपके द्वारा संचालित विद्यालय का नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा जॉचोपरान्त वर्ग – I से VIII जिसकी प्रस्वीकृति सं० 06 सत्र 2013-14 से 2015-16 है, जिसका नवीनीकरण सत्र 2016-17 से 2018-19 तक किया जाता है। प्रदत प्रस्वीकृति / नवीनीकरण पूर्व के शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी।

विश्वासभाजन

(सूर्य नारायण)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–सचिव,

निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति

(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)

गोपालगंज।

NIRMALA C...
Tirbirwan, Yadopur
Gopalganj-841428

Sr. Albin Vijo
Manager
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road

## कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज।

(सर्व शिक्षा अभियान)

**विद्यालय प्रस्वीकृति प्रमाण–पत्र**

पत्रांक 06 / ...

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
निर्मला कैथोलिक इंग्लिश मीडियम स्कूल।
तिरबिरवा यादोपुर रोड गोपालगंज।

गोपालगंज, दिनांक 23/7/2013

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण – पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 07/27.9.2011 और उसके कम में आपसे, किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय निर्मला कैथोलिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल कक्षा I से VIII तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2012-13 से 2014-15 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी –

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका–3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चों, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road

Sr. Allein Vije
Manager
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj

6 विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नही करेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे –

i किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

ii किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

iii किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

v अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलाग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

vi शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,

कुल निर्मित क्षेत्र,

खेल के मैदान का क्षेत्र,

वर्गकक्षों की कुल संख्या,

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष,

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road

Principal
Tirbirwan, Yadavpur Road
Gopalganj-841428

Sr. Allein Viji
Manager
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj

पेयजल की सुविधा,

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर,

बाधारहित पहुँच,

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ;1860 का 21द्ध के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लगे कानून के तहत् गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 06/5110 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाय।

17. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 23/07/13

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)
बिहार शिक्षा परियोजना,
गोपालगंज।

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadavpur Rd.
Gopalganj 841428

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj

Sr. Albina
Manager
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj